

**THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (SECOND  
AMENDMENT) BILL, 2017**  
**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**A**

**Bill**

*further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956.** - In section 3 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the existing expression "thirty five thousand rupees", the expression "fifty five thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in clause (b), for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "forty five thousand rupees" shall be substituted;
- (iv) in clause (c), for the existing expression "twenty seven thousand rupees", the expression "forty two thousand rupees" shall be substituted; and
- (v) in clause (d), for the existing expression "twenty four thousand rupees", the expression "forty thousand rupees" shall be substituted.

**3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of 1956.**- In section 4 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
  - (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "thirty five thousand rupees", the expression "fifty five thousand rupees" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2),-

- (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3),-
- (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted; and
- (iv) in sub-section (4),-
- (a) for the existing expression "1<sup>st</sup> April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "forty thousand rupees" shall be substituted.

**4. Amendment of section 7-B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.-** In section 7-B of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
- (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "twenty seven thousand rupees", the expression "forty thousand rupees" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3),-
- (a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2017" shall be substituted; and
  - (b) for the existing expression "thirty thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Looking to the present level of price, the existing salary and sumptuary allowance payable to the Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries appears to be inadequate. Under these circumstances, it has been considered expedient to increase the salary and sumptuary allowance payable to the Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, and, therefore, necessary amendment in sections 3, 4 and 7-B of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) have been respectively proposed vide clauses 2, 3 and 4 of the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,  
**Minister Incharge.**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल  
महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (38) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल,  
2017 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान  
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में,  
में, राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को  
राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

**FINANCIAL MEMORANDUM**

Clauses 2, 3 and 4 of the Bill seek to increase the salary and sumptuary allowances of the Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries. The expenditure owing to the proposed increase is estimated to involve a recurring expenditure of about rupees 1,55,00,000/- per annum.

वसुन्धरा राजे,  
**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN  
MINISTERS' SALARIES  
ACT, 1956**

(Act No. 43 of 1956)

XX            XX            XX            XX            XX            XX

**3. Salaries of Ministers.-** There shall be paid with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later-

- (a) a salary of thirty five thousand rupees per mensem to the Chief Minister,
- (b) a salary of thirty thousand rupees per mensem to a Minister other than a Minister of State and a Deputy Minister,
- (bb) a salary of ten thousand five hundred rupees per mensem to a Deputy Chief Minister,
- (c) a salary of twenty seven thousand rupees per mensem to a Minister of State, and
- (d) a salary of twenty four thousand rupees per mensem to a Deputy Minister.

**4. Sumptuary allowance.-** (1) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid to the Chief Minister with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of thirty five thousand rupees per mensem.

(1-A) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, to a Deputy Chief Minister with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 1998 (Act No. 4 of 1998) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of six thousand rupees per mensem.

(2) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Minister, other than the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister, a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

(3) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Minister of State, a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

(4) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Deputy Minister a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.

**XX            XX            XX            XX            XX            XX**

**7-B. Salaries, allowances and amenities to parliamentary Secretaries.-** (1) With effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or the date on which he may thereafter enter upon his office, there shall be paid to a Parliamentary Secretary a salary of twenty seven thousand rupees per mensem and such travelling and other allowances as may be prescribed.

(2) A Parliamentary Secretary shall be entitled to such medical facilities for himself and for members of his family and to such housing, conveyance, telephone, postal and other facilities, as may be prescribed.

(3) In addition to the salary and other allowances payable under sub-section (1), there shall be paid to every Parliamentary Secretary, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2012 or with effect from the date he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of thirty thousand rupees per mensem.

**XX            XX            XX            XX            XX            XX**

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2017 का विधेयक सं. 33

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (v) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चौबीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।



3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-धारा (4) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 7-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2017" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों के वर्तमान स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार भत्ता अपर्याप्त प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार भत्ते में वृद्धि करना समीचीन समझा गया है, और इसलिए, राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 3, 4 और 7-ख में आवश्यक संशोधन इस विधेयक के क्रमशः खण्ड 2, 3 और 4 द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,  
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन माननीय राज्यपाल  
महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (38) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल,  
2017 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान  
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में,  
में, राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 को  
राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

**वित्तीय ज़ापन**

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 4 मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और सत्कार भत्तों में वृद्धि करने के लिए ईप्सित हैं। प्रस्तावित वृद्धि के कारण व्यय में लगभग 1,55,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होना अनुमानित है।

वसुन्धरा राजे,  
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43)  
से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

XX

3. मंत्रियों के वेतन.- 1 अप्रैल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, जो भी बाद में हो,-

(क) पैंतीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन मुख्यमंत्री को,

(ख) तीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन राज्य मंत्री या उप-मंत्री से भिन्न मंत्री को,

(खख) दस हजार पांच सौ रुपये प्रति मास का वेतन उप मुख्यमंत्री को,

(ग) सत्ताईस हजार रुपये प्रति मास का राज्य मंत्री को, और

(घ) चौबीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन उप-मंत्री को,

संदत्त किया जायेगा।

4. सत्कार भत्ता.- (1) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री को पैंतीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(1-क) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, उप मुख्यमंत्री को छह हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(2) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री, किसी राज्य मंत्री और किसी उप-मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री को तीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(3) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे प्रत्येक राज्यमंत्री को तीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(4) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, प्रत्येक उप-मंत्री को बीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

**7-ख. संसदीय सचिवों को वेतन, भत्ते तथा सुख-सुविधाएं.-** (1)

संसदीय सचिव को 1 अप्रैल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, सत्ताईस हजार रुपये प्रति मास का वेतन और ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो विहित किये जाएं।

(2) संसदीय सचिव अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधाओं का तथा ऐसी आवासन, वाहन, टेलीफोन, डाक तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(3) प्रत्येक संसदीय सचिव को उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन और अन्य भत्तों के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 2012 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, तीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)



**Bill No. 33 of 2017**

**THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (SECOND  
AMENDMENT) BILL, 2017**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

Bill

*further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.*

---

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**PRITHVI RAJ,**  
**Secretary.**

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)